रेग्यू 4309 - I/12

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २०१२ पुनरावलोकन

तुलसीदास पुत्र श्री रामकुमार उरमलिया,
रिटायर्ड अकाउन्टेन्ट वनविभाग, निवासी मसमहा
हाल निवासी वार्ड नं० २७ पतेरी सतना, तहसील
रघुराज नगर, जिला सतना --- आवेदक

वनाम

सालिगराम पुत्र स्व० श्री रामकुमार उरमलिया,
रिटायर्ड उच्च श्रेणी शिक्षक मसमहा, तहसील
रघुराज नगर, जिला सतना

--- अनावेदक

19-12-12
19-12-12
4-55 PM

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4309–एक / 2012 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
11–06–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव अनुपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 577–तीन / 08 में पारित आदेश दिनांक 31–5–12 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	